स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18 / एम / राज. ई–ऑफिस / 2018 / 356 दिनांकः– 09/02/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
झालावाड़ / चित्तौडगढ / झुन्झुनू / कोटा / हनुमानगढ।

विषयः– स्पष्टीकरण बाबत।
संदर्भः–निदेशालय के पत्र कमांक 195 दिनांक 24.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा मुख्यालय में राज ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेश्न में डेटा इन्द्राज एवं ऑन लाईन रिलिविंग जोईनिंग एवं किये गये डेटा इन्द्राज के सत्यापन की समीक्षा बेठक ली गई। समीक्षा बेठक में ज्ञात हुआ आपके जिलो / कार्यालयो की प्रगति रिपोर्ट अन्य जिलो / कार्यालयो की तुलना में बहुत कम पाई गई है जो की अत्यन्तः खेदजनक है जिसको अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा गंभीरता से लिया गया।

इस संबंध में आपको संदर्भित पत्र के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिवस तक अपेक्षित है जो कि घोर लापरवाही / अवहेलना का द्योतक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप राज ई–ऑफिस एप्लीकेश्न में शत प्रतिशत डेटा इन्द्राज एवं डेटा वेलिडेश्न का कार्य तीन कार्य दिवस में पूर्ण कर अपना स्पष्टीकरण निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरूद्व आर.एस.आर. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसके लिये आप स्वंय जिम्मेदार होगें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः--ई–18 / एम / राज. ई–ऑफिस / 2018 / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेश्क (प्रशासन), एवं नोडल अधिकारी, राज ई–ऑफिस, आईटी सेल, मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेश्क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर / कोटा / उदयपुर / बीकानेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।